न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 25/2025

श्री कानाराम पुत्र स्व. श्री अणदाराम जामि बांवरिया, निवासी खसरा नम्बर 47, ग्राम उजोली, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। (राज.)

.....*अपीलार्थी।*

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. नायब तहसीलदार, रूपनगढ़

..... **अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट्स)**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नायबत तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण सं 01/2025 में दिये गये आदेश दि. 16.04.2025

———

अभिभाषक :– 1. श्री तुलबीर सिंह चौहान, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक 17.10.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री कानाराम पुत्र स्व. श्री अणरदाराम जाति बांवरिया निवासी ग्राम कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ने ग्राम उजोली तहसील रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 47 किस्म बा–3 रकबा 0.3155है0 में से 0.2500है0 भूमि पर झोपड़ी, चाण डालकर एवं बाड लगाकर अतिक्रमण कर लिया। इस आशय की पटवारी हल्का उजोली की रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 01/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पंजीकृत किया जाकर विधिवत एवं नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त दिनांक 16.04.2025 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति कायम के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.04.2025 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज होने के उपरान्त आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.04.2025 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट को रूक रूक कर तीन बार बहस हेतु आवाज लगाये जाने पर भी वकील अपीलान्ट अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील मीमो तथा पूर्व में की गयी बहस के आधार पर प्रकरण को निर्णित करने का निर्णय किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी नोटिस, अपीलार्थी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को व्यक्तिशः नोटिस तामील नहीं करवाये। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में नोटिस की चस्पानगी दो मौतबीर गवाह के समक्ष करावी जाकर उनके हस्ताक्षरा

करवाये जाने थे, परन्तु उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं करवायी जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा विधिवत रूप से नोटिस की तामीली करवाये बिना अपीलार्थी को अनुपस्थित बताकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए शास्ति आरोपित की जाकर भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किये गये जो कि विधि विरूद्ध है। उन्होने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर स्थित अपीलार्थी की झोपड़ी में अपीलार्थी का परिवार निवास करता है तथा राज्य सरकार द्वारा ''झौपड़ी/मकान में रह रहे लोगों को बेदखल नहीं करने'' का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में योग्य राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर झोपड़ी बनाकर, चाण डालकर एवं बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है, इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है।

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली एवं रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि ग्राम उजोली के खसरा नम्बर 47 में से 0.2500है0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर झोपड़ी व बाड़ बनाकर तथा चाण डालकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में जारी नोटिस को अपीलार्थी द्वारा लेने से स्पष्ट इन्कार करने पर अपीलार्थी को सूचित कर नोटिस को झोपड़ी पर चस्पा किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आक्षेपीय आदेश दिनांक 16.04.2025 विधिवत रूप से निर्णित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार नहीं है।

अतः अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन अपील को निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 16.04.2025 को यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार रूपनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया है तथा उन्होने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं अपीलार्थी से इस आशय का शपथपत्र भी प्राप्त कर लिया गया है कि अपीलार्थी भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा।

आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। आदेश की एक प्रति तहसीलदार रूपनगढ़ एवं नायब तहसीलदार रूपनगढ़ को दिये गये निर्देशों की पालनार्थ भिजवायी जावे।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर